भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1129

उत्तर देने की तारीखः 08.02.2021

स्कूलों को पुन: खोला जाना

†1129. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :**

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

श्री डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस. :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कई भागों में कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद किए गए स्कूलों को पुन: खोल दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई दिशानिर्देश/एसओपी जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों का ऑनलाइन शिक्षण सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विद्यार्थियों और अभिभावकों पर ऑनलाइन शिक्षण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इस आकलन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने विद्यार्थियों के अकादमिक करियर को ध्यान में रखते हुए कम से कम कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में अन्य राज्यों को निर्देश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो, इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) : गृह मंत्रालय ने 30.09.2020 के आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-I (ए) के जरिए यह सूचित किया है कि **15.10.2020 के बाद स्कूलों व कोचिंग संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से पुन: खोलने के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार, स्थिति के अपने आकलन व निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन संबंधित स्कूल/संस्थान प्रबंधन के परामर्श से निर्णय ले सकते हैं:-**

i. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण, शिक्षण का अभिमानत: तरीका होना चाहिए और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

ii. जहॉ स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं और कुछ छात्र स्कूल जाने के बजाए ऑनलाइन कक्षा लेना चाहते है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए। .

iii. छात्र माता-पिता की लिखित अनुमति से ही स्कूल/संस्थान आएं।

iv. उपस्थिति के लिए बाध्य न किया जाए और यह पूर्णत; माता-पिता पर निर्भर होनी चाहिए।

v. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के आधार पर स्कूल/संस्थान दोबारा खोलने के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सावधानियों के संबंध में अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएंगें।

vi. खोलने की अनुमति वाले विद्यालयों को उपयुक्त के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 05 अक्टूबर, 2020 को अनलॉक -5 के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) के दिशानिर्देश जारी करने के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के बारे में विस्तृत एसओपी / दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का भाग-I स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं से संबंधित है। ये स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के प्रचलित निर्देशों पर आधारित हैं, और सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय स्थिति के अनुसार / अनुकूल बनाकर / अपना कर लागू किए जाते हैं। दिशानिर्देशों के भाग- II में स्कूलों को पुन: खेलने पर शारीरिक / सामाजिक दूरी के साथ सीखने और शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जिनका शिक्षा-शिक्षण जैसे कि, पाठयक्रम आदान-प्रदान, अनुदेशात्मक भार, समय-सारणी, मूल्यांकन, आदि में ध्यान रखा जाना है। इन दिशानिर्देशों को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools_0.pdf

कोरोना महामारी के कारण बंद होने के बाद स्कूलों को फिर से खोलने की राज्य-संघ-वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) : शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों में ऑनलाइन अधिगम शिक्षण से संबंधित एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार, निष्कर्षों से पता चला कि लगभग 60-70% केवीएस, एनवीएस और सीबीएसई के प्रतिभागियों (छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रिंसिपलों) ने साझा किया कि कोविड -19 अवधि के दौरान अधिगम और शिक्षण आनंदमय और संतोषजनक था। 20 से 30% हितधारकों ने साझा किया कि उनका कठिन अनुभव था और लगभग 10-20% ने कहा कि यह उनके लिए भार स्वरूप था। सर्वेक्षण और निष्कर्षों का विवरण अध्याय - 3 में अधिगम संवर्धन दिशानिर्देशों में दिया गया है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है।:

1. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Learning_Enhancement_0.pdf
2. https://seshagun.gov.in/sites/default/files/update/Learning_Enhancement.pdf
3. https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Learning_%20Enhancement_Guidelines.pdf

शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान और उसके पश्चात छात्रों के अधिगम संबंधी अंतराल और/या उसकी हानि संबंधी मुद्दों के समाधान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्य किए हैं, एनसीईआरटी ने अधिगम निष्कर्षों पर फोकस करते हुए 'वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेण्डर' और "छात्र अधिगम संवर्धन दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित 3 प्रकार के परिप्रेक्ष्य में मॉडल्स का सुझाव देते है:-

I. कोविड -19 के दौरान डिजिटल उपकरणों के बिना छात्रों का अधिगम संवर्धन।

II. कोविड -19 के दौरान डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच वाले छात्रों का अधिगम संवर्धन।

III. कोविड 19-के दौरान डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता वाले विद्यार्थियों का अधिगम संवर्धन।

छात्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की तकनीक को अपनाया गया है। अधिगम सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों द्वारा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा), स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग

फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम), स्वयं प्रभा, मनोवैज्ञानिक सहयोग हेतु मनोदर्पण, डिजिटल शिक्षा हेतु प्राज्ञयता दिशा-निर्देश, ई-टेक्स्टबुक्स आदि का उपयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं प्रभा का उपयोग किया जा रहा है। दूरदराज के क्षेत्रों में जहां ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना कठिन हैं वहां सीबीएसई द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट का उपयोग भी प्रभावी रूप से किया जाता है।

मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा जारी रखने या शैक्षिक वर्ष/शिक्षा के नुकसान को रोकने हेतु दिनांक 13 जुलाई, 2020 को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इसके अतिरक्त, मूल्यांकन परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने के लिए, सीबीएसई ने केवल परीक्षाओं के उद्देश्य से पाठ्यक्रम को तीस प्रतिशत तक घटा दिया है। यह कक्षा संचालन के तरीके में बदलाव के मद्देनजर किया गया है जो अभिभावकों और शिक्षकों दोनों के लिए नया है।

*****

अनुबंध

"स्कूलों को पुन: खोला जाना" के संबंध में माननीय संसद सदस्यं श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस. द्वारा दिनांक 08.02.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1129 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्कूलों को पुन: खोले जाने की स्थिति (04.02.2021 तक)

क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्यक्षेत्र**	**क्या विद्यालयों को फिर से खोला / खोला जा रहा है**	**टिप्पणियां**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	जी, हां	10th से 12th
2	आंध्र प्रदेश	जी, हां	7th से o 12th
3	अरुणाचल प्रदेश	जी, हां	8th से 12th
4	असम	जी, हां	6th से 12th
5	बिहार	जी, हां	9th से 12th
6	चंडीगढ़	जी, हां	9th से 12th
7	छत्तीसगढ़	जी, नहीं	-
8	दिल्ली	जी, हां	9th से 12th (9th और 11th कक्षा 5 फरवरी से शुरू हो जाएंगी)
9	दमन और दीव, दादर और नगर हवेली	जी, हां	9th से 12th
10	गोवा	जी, हां	10th और 12th
11	गुजरात	जी, हां	9th से 12th
12	हरियाणा	जी, हां	9th से 12th
13	हिमाचल प्रदेश	जी, हां	5th, 8th से 12th 1 फरवरी 2021 से (ग्रीष्मकालीन समापन स्कूल) 15 फरवरी से (विंटर क्लोजिंग स्कूल)
14	जम्मू और कश्मीर	जी, हां	1st से 12th
15	झारखंड	No	-
16	कर्नाटक	जी, हां	10th & 12th
17	केरल	जी, हां	10th & 12th
18	लद्दाख	जी, हां	9th से 12th
19	लक्षद्वीप	जी, हां	1st से 12th
20	मध्य प्रदेश	जी, हां	9th से 12th

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	क्या विद्यालयों को फिर से खोला / खोला जा रहा है	टिप्पणियां
21	महाराष्ट्र	जी, हां	9th से 12th
22	मणिपुर	जी, हां	9th से 12th
23	मेघालय	जी, हां	6th से 12th
24	मिजोरम	जी, हां	10th और 12th
25	नागालैंड	जी, हां	9th – 12th (आंशिक)
26	ओडिशा	जी, नहीं	-
27	पुडुचेरी	जी, हां	9th से 12th
28	पंजाब	जी, हां	1st से 12th
29	राजस्थान	जी, हां	9th से 12th
30	सिक्किम	जी, हां	9th से 12th
31	तमिलनाडु	जी, हां	9th से 12th
32	तेलंगाना	जी, नहीं	-
33	त्रिपुरा	जी, हां	5th से 12th
34	उत्तर प्रदेश	जी, हां	9th से 12th
35	उत्तराखंड	जी, हां	6th से 12th (08 फरवरी 2021 से खुलेंग)
36	पश्चिम बंगाल	जी, हां	9th से 12th(12 फरवरी, 2021 से खुलेंगे)

डीएनडी – डीएनएच- दमन और दीव- दादर और नगर हवेली

स्रोत-राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना